# श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
## (मानित विश्वविद्यालय)
## बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110 016

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2018–19/725 दिनांक 22.11.2018 28

## कार्यालयीय –आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चत्तर शिक्षा विभाग के पत्र सं.4–2/2015–एल–1 एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा विद्यापीठीय तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया कि विद्यापीठ द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन हो रहा है इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को अनिवार्यतः हिन्दी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में या हिन्दी में जारी किए जाएं।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं के अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा०)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
8. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा०)

For n/a
11/12/18
Sh. Gyan